



V/165  
21/9/23

# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2023/डी-1809

दिनांक 20/9/2023

## प्रस्तावित भू-उपयोग उपान्तरण

राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम - 2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम- 2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न भूखण्डों के आवेदकों द्वारा अपनी सहगति का भू-उपयोग परिवर्तन करवाये जाने हेतु आवेदन किये गये हैं, जिनका विस्तृत विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट www.jda.urban.rajasthan.gov.in एवं जोन कार्यालय में देखा जा सकता है। इस संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था आदि को कोई आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 7 दिवस में मय दस्तावेज संबंधित उपायुक्त जोन कार्यालय अथवा सचिव, जविप्रा को प्रस्तुत करें।

क्र. सं.	जोन	आवेदक का नाम	भूखण्डधारी का नाम	भूखण्ड संख्या	पट्टा विलेख में वर्णित भू-उपयोग	योजना का नाम (गृ.नि. स.स./मिजी खातेदारी योजना)	भूखण्ड क्षेत्रफल	मास्टर प्लान- 2025/ जोनल विकास योजना अनुसार भू-उपयोग	उपयोग जिसके लिए आवेदन किया गया
1	7	श्री सूर्य प्रकाश नाथानी पुत्र स्व. श्री महावीर प्रसाद नाथानी	श्री. सूर्य प्रकाश नाथानी पुत्र स्व. श्री महावीर प्रसाद नाथानी	बी-211	आवासीय	वैशाली नगर (जविप्रा योजना)	216.67 व. ग.	आवासीय	मिश्रित

उपायुक्त जोन-7  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
उपायुक्त (जोन-7)  
जयपुर विकास प्राधिकरण  
जयपुर

### प्रतिलिपि:-

1. निदेशक- नगर आयोजना, जविप्रा, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक- मा. प्लान, जविप्रा, जयपुर।
3. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञापन के लघुरूप का निम्नानुसार दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर समाचार पत्रों की प्रतियां इस कार्यालय को प्रेषित करें।

—sd—  
उपायुक्त जोन-7  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर।



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा. जोन-8/2023/डी- 3065

दिनांक 18/9/23

## आम सूचना

निम्न आवेदक द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भू.सं.	भू.क्ष. वर्ग0	ग.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जि.व.प्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र श्री तेजराम गुप्ता	श्रीमती मनभरी देवी गुप्ता पत्नी श्री तेजराम गुप्ता	78	235.59	निजी खातेदारी	नारायण विहार-ए	फी होल्ड	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अपंजीकृत वसियतनामा होने से।
2	श्री राजराम पुत्र श्री रामनारायण	स्वयं	99-ए	83.33	निजी खातेदारी	नारायण विहार-पी	फी होल्ड	मूल दस्तावेज खो जाने से।
3	श्रीमती कमली देवी पत्नी श्री राजाराम	स्वयं	100(साउथ पार्ट)	111.11	निजी खातेदारी	नारायण विहार-पी	फी होल्ड	मूल दस्तावेज खो जाने से।
4	मोहम्मद रमजान पुत्र मकबूल	स्वयं	22	411.01	अपोलो गृह निर्माण सहकारी समिति	कागजीयान कॉलोनी	संशोधित लीजडीड	आवेदक के नाम में भिन्नता होने से।

उपायुक्त जोन-8  
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें। कृपया प्रकाशन से पूर्व PROOF की जांच कर लें।

उपायुक्त जोन-8  
जविप्रा, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : (8310) : फैक्स - +91-141-2574555

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर


क्रमांक:जविप्रा/उपा./जोन-12/2023/डी-8748

दिनांक 12-9-2023

जनसम्पर्क अधिकारी  
जविप्रा, जयपुर।

विषय :-90ए की लोक सूचना का प्रकाशन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में 90ए की लोक सूचना सलग्न प्रारूप अनुसार 8 फ्रोंट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय में उपलब्ध कराने का श्रम करें।

  
उपायुक्त जोन-12  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर  
०५

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-12  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102880

दिनांक: 12/09/2023

लोक सूचना

श्री KALU RAM MEENA पुत्र श्री SEDU RAM MEENA जाति MEENA निवासी WARD NO. 7, MEENO KA MOHALLA, KHORA SHYAMDAS JAIPUR-303704

पत्नी श्री RICHA KHODA पुत्री श्री KISHANLAL MEENA जाति MEENA निवासी A3, JAMNALAL BAJAJ MARG, C-SCHEME, JAIPUR

इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का औद्योगिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1	नासनोता, मौजमाबाद (जयपुर)	KALURAM MEENA	65	3200	0.32
2	नासनोता, मौजमाबाद (जयपुर)	KALURAM MEENA	67	100	0.01
3	नासनोता, मौजमाबाद (जयपुर)	KALURAM MEENA	68	15600	1.56
4	नासनोता, मौजमाबाद (जयपुर)	KALURAM MEENA	69	12300	1.23
5	नासनोता, मौजमाबाद (जयपुर)	KALURAM MEENA	70	19400	1.94
6	नासनोता, मौजमाबाद (जयपुर)	KALURAM MEENA	71	1900	0.19
7	नासनोता, मौजमाबाद (जयपुर)	KALURAM MEENA	72	5000	0.5
8	नासनोता, मौजमाबाद (जयपुर)	KALURAM MEENA	77	17100	1.71
9	नासनोता, मौजमाबाद (जयपुर)	KALURAM MEENA	8	600	0.06
10	नासनोता, मौजमाबाद (जयपुर)	KALURAM MEENA	9	1300	0.13
11	नासनोता, मौजमाबाद	KALURAM MEENA	76	11700	1.17

②

	(जयपुर)				
12	नासनोता, मौजमाबाद (जयपुर)	KALURAM MEENA	81	2500	0.25
13	नासनोता, मौजमाबाद (जयपुर)	KALURAM MEENA	82	3900	0.39
14	नासनोता, मौजमाबाद (जयपुर)	KALURAM MEENA	83	3500	0.35
15	नासनोता, मौजमाबाद (जयपुर)	KALURAM MEENA AND RICHA KHODA	80	8200	0.82
				कुल	10.63

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिवृत्ति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिवृत्ति अधिकारों के अभाव पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **12-09-2023** को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-12  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

०९




# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

75  
Aesthika  
Smart Infrastructure

## आमसूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नागरिक गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना अमृत नगर के भूखण्ड संख्या 233-ए क्षेत्रफल 97.50 वर्गगज का भूखण्डधारी द्वारा जोन में पट्टा विलेख जारी करवाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त भूखण्ड ग्राम बलरामपुरा उर्फ खेजडों का बास तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 54/273 से प्रभावित है। उक्त खसरा नम्बर की भूमि वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज हो चुकी है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.10.2014 के अनुसार उक्त विज्ञप्ति जारी की जा रही है। अतः उक्त भूखण्ड का पट्टा विलेख जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/हितधारी/खातेदार को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में इस कार्यालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करे। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही करते हुए भूखण्डधारी को पट्टा विलेख जारी कर दिया जायेगा।



उपायुक्त  
जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)  
जविप्रा, जयपुर।

जनसम्पर्क अधिकारी,  
जविप्रा, जयपुर।

यू.ओ. नोटक्रमांक/ज.वि.प्रा./उपा./जोन-पी.आर.एन.(दक्षिण-द्वितीय)/2023/डी- 1969  
दिनांक 21.10.2023

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (सम्बंधित कार्यालय) फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/उपा/जोन-5/2021/डी-2046 दिनांक :- 21.9.23


## आम सूचना

पार्वती नगर विस्तार विकास समिति द्वारा भांकरोटा गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना पार्वती नगर विस्तार का नियमन करने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। विकास समिति द्वारा योजना की सदस्यता सूची एवं योजना का पी. टी. सर्वे मानचित्र प्रस्तुत किया गया है। पी. टी. सर्वे मानचित्र अनुसार उक्त योजना ग्राम बृजलालपुरा तहसील जयपुर के खसरा नम्बर 32 एवं 4/144 की भूमि पर सृजित है। उक्त खसरा नम्बर वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की खातेदारी में दर्ज है। उक्त योजना में स्थित भूखण्डधारियों की सूची निम्नांकित है।

क्र. सं.	सदस्यता सूची	भूखण्ड संख्या
1.	श्री अयूब मातवान पुत्र श्री बशीर अहमद	1
2.	श्री मुकेश तिवाड़ी पुत्र श्री कमल सिंह	2
3.	श्री जगदीश पुत्र श्री देवीराम	3
4.	श्रीमती कान्ता देवी पत्नी श्री रतन लाल	4
5.	श्री भंवर लाल पुत्र श्री किशन लाल	5
6.	श्री जगदीश कुमार पुत्र श्री नारायण	6
7.	श्री रमेश कुमार पुत्र श्री नारायण बैरवा	7
8.	श्रीमती नाथी देवी पत्नी श्री राम किशोर	8
9.	श्री पवन कुमार शर्मा पुत्र श्री रतन शर्मा	9
10.	श्री हनुमान सहाय पुत्र श्री कालू राम	10
11.	श्री प्रेमचन्द पुत्र श्री छगन लाल	11
12.	श्री बद्री नारायण पुत्र श्री गोपीराम	12
13.	श्री नन्द किशोर पुत्र श्री लादू राम	13
14.	श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री सुदेश	14
15.	श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री मातादीन	15
16.	श्री जीवन सिंह पुत्र श्री मोटा राम	16
17.	श्री जीवन सिंह पुत्र श्री मोटा राम	17
18.	श्रीमती विमला पत्नी श्री हजारी लाल	18
19.	श्रीमती कैलाशी देवी पत्नी श्री महावीर	19
20.	श्री प्रेम चन्द पुत्र श्री गंगाराम	20
21.	श्री कैलाश चन्द पुत्र श्री हर सहाय	21

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-2563234) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : (8250) : फैक्स - +91-141-2574555



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in


22.	श्रीमती रामेश्वरी देवी पत्नी श्री भगवान सहाय	22
23.	श्री हजारी लाल पुत्र श्री चमन लाल	23
24.	श्रीमती दुर्गेश नन्दनी पत्नी श्री सुरेश कुमार	24
25.	श्री शिव चरण लाल पुत्र श्री टीका राम	25
26.	श्री राधेश्याम पुत्र श्री प्रभू दयाल अग्रवाल	26
27.	श्री मनोहर सिंह पुत्र श्री रावत सिंह	27 ए
28.	श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी श्री मदन लाल	27 बी
29.	श्री कल्याण सिंह पुत्र श्री लादू सिंह	28
30.	श्री रूपा शर्मा पुत्र श्री पूरण मल शर्मा	29
31.	श्री भारती शर्मा पुत्र श्री पूरण मल शर्मा	30
32.	श्रीमती निम्मा देवी पत्नी श्री बाबू लाल	31
33.	श्रीमती रामश्री पत्नी श्री रामलाल	32
34.	श्रीमती स्वर्णमाला पत्नी श्री विजेन्द्र कुमार	33
35.	श्री रामदेव पुत्र श्री सुवा लाल बैरवा	34
36.	श्रीमती मामली देवी पत्नी श्री नारायण लाल	35
37.	श्री मदन लाल पुत्र श्री हरपाल	36 ए
38.	श्री रतन लाल पुत्र श्री हरपाल	36 बी
39.	श्री सत्य नारायण पुत्र श्री हरपाल	37
40.	श्री बट्टी नारायण पुत्र श्री घासी राम	38
41.	श्री बट्टी नारायण पुत्र श्री घासी राम	39
42.	श्री गोरू सिंह पुत्र श्री जगन्नाथ सिंह	42
43.	श्री कालू राम पुत्र श्री रामनाथ	43
44.	श्री बालू राम पुत्र श्री नोरतमल जाट	44
45.	श्री हनुमान जाट पुत्र श्री रामलाल जाट	45
46.	श्री जगमोहन झा पुत्र श्री मुकुन्द झा	46
47.	श्रीमती सोनमति पत्नी श्री उमाशंकर दुबे	47
48.	श्री सिकन्दर पुत्र श्री बिलास सिंह	48 ए
49.	श्री रामकुमार पुत्र श्री लाल मेहतो	48 बी
50.	श्रीमती चांद कंवर पत्नी श्री गुमान सिंह	50
51.	श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रभू सिंह	51
52.	श्री जगदीश सिंह पुत्र श्री बजरंग सिंह	52
53.	श्री भागीरथ सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह	53

*Handwritten signature/initials*

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-2563234) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {8250} : फैक्स - +91-141-2574555





# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

54.	श्री भवानी सिंह पुत्र श्री रणवीर सिंह	54
55.	श्री भवानी सिंह पुत्र श्री रणवीर सिंह	55
56.	श्री राम यादव पुत्र श्री भंवर लाल	60
57.	श्री नसीर अहमद पुत्र श्री अब्दुल मजीद	65
58.	श्रीमती बाबूड़ी देवी पत्नी श्री हनुमान सहाय	66
59.	श्री सतवीर सिंह पुत्र श्री जयनारायण सिंह	67
60.	श्री अनिल जैन पुत्र श्री माणक चन्द जैन	68
61.	श्री अनिल जैन पुत्र श्री माणक चन्द जैन	69
62.	श्री नवल सिंह पुत्र श्री हमीर सिंह	70
63.	श्रीमती कंचन कंवर पत्नी श्री सम्पत सिंह	71
64.	श्रीमती सुप्रिया तिवाड़ी पत्नी श्री राम सिंह	72
65.	श्रीमती प्रेम देवी पत्नी श्री लालाराम	73
66.	श्रीमती रामेश्वरी देवी पत्नी श्री पूरण मल	74
67.	श्रीमती सविता देवी पत्नी श्री लालाराम	75
68.	श्री सुनील सिंह पुत्र श्री किशन सिंह	76
69.	श्री रोशन सिंह पुत्र श्री नवल सिंह	77
70.	श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री सुरेश कुमार मीणा	78
71.	श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री रामजी लाल मीणा	79
72.	श्रीमती सुप्यार कंवर पत्नी श्री बाबू सिंह तंवर	80
73.	श्री मनोहर माथुर सिंह पुत्र श्री हरलाल माथुर	81
74.	श्री रामकुमार पुत्र श्री दयाराम	83
75.	श्रीमती रजिया मोहम्मद पत्नी श्री मोहम्मद खां	85
76.	श्रीमती शांति देवी पत्नी श्री राधेश्याम	86
77.	श्रीमती सुशीला देवी पत्नी श्री जग्गु राम	87
78.	श्री रघुवीर सिंह पुत्र श्री बिरजू सिंह	92
79.	श्रीमती नीलम शर्मा पत्नी श्री चुन्नी लाल शर्मा	94
80.	श्रीमती नीलम शर्मा पत्नी श्री चुन्नी लाल शर्मा	95
81.	श्रीमती कान्ता तिवाड़ी पत्नी श्री रामसिंह	97
82.	श्री डालचन्द तिवाड़ी पुत्र श्री कमल सिंह	98
83.	श्री डालचन्द तिवाड़ी पुत्र श्री कमल सिंह	99
84.	श्री राकेश तिवाड़ी पुत्र श्री कमल सिंह	100
85.	श्री राकेश तिवाड़ी पुत्र श्री कमल सिंह	101
86.	श्रीमती लाली देवी पत्नी श्री गोवर्धन सिंह	103

*Handwritten signature*

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-2563234) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : (8250) : फैक्स - +91-141-2574555



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

87.

श्रीमती माया देवी पत्नी श्री विनोद सिंह

104

उक्त योजना का नियमन शिविर दिनांक 27.09.2023 को लगाया जाना नियत है। अतः उक्त योजना क्षेत्र में आने वाले खसरा नम्बर एवं भूखण्डधारियों की सूची के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति, हितधारी, संस्था को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को इस सूचना के प्रकाशित होने के 7 दिवस में प्रस्तुत कर दें। अन्यथा नियत अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर भूखण्डधारियों के पक्ष में नियमानुसार नियमन की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-5

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।

2. अति. आयुक्त (पूर्व), जविप्रा, जयपुर।

3. उप निदेशक (सूचना एवं जन सम्पर्क), जविप्रा, जयपुर को उक्त सूची का दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराये जाने हेतु प्रेषित है।

उपायुक्त जोन-5

क्रमांक:जविप्रा/उपा. जोन-8/2023/डी- 3074

दिनांक:- 21/9/23

सार्वजनिक नोटिस

जयपुर विकास प्राधिकरण की जोनल प्लान 10 की 60 मीटर सैक्टर सड़क (अजमेर रोड़ से डिग्गी मालपुरा रोड़ एवं जविप्रा योजना स्वर्ण विहार को जोड़ने वाली 200 फीट सैक्टर रोड़ को जोड़ती है) में आ रही भूमि राजस्व ग्राम गणपतपुरा तहसील सांगानेर जयपुर के खसरा नम्बर 431/459 रकबा 2.2000 हैक्टेयर में से 0.6300 हैक्टेयर भूमि के खातेदार श्री श्योजीराम, कैलाश चन्द, रमेश चन्द, रामस्वरूप पुत्रान् स्व0 श्री कानाराम द्वारा जविप्रा अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन/वाद विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया जोन-8 कार्यालय में 07 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात् आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण  
जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. जन्म सम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
2. रक्षित पत्रावली

उपायुक्त जोन-8  
जयपुर विकास प्राधिकरण  
जयपुर।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102921

दिनांक: 21/09/2023

लोक सूचना


श्री हरित कुमार भीणा पुत्र श्री शम्भूदयाल भीणा जाति भीणा निवासी-सी-382, महेश नगर, जयपुर।  
ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने  
अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1	पीपला भरतसिंह, सांगानेर (जयपुर)	श्री हरित कुमार भीणा पुत्र श्री शम्भूदयाल भीणा जाति भीणा निवासी-सी-382, महेश नगर, जयपुर।	1044/757	100	कुल रकबा 0.24 हेक्टे में से रकबा 0.010 हेक्टे
कुल					0.010

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है, कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर 90-A For Development Authority (UCH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार गामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 21-09-2023 को जारी की गयी।

  
प्राधिकृत अधिकारी, (जोन-11)  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक-जविप्रा/उपा./जोन-14/2023/डी-2350


दिनांक 21/11/23

## सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारियों द्वारा दस्तावेज/आवेदन प्रस्तुत कर भूखण्ड का नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने हेतु आवेदन किया गया है:-


क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	नाम/पता	समिति का नाम/निजी खातेदारी/जविप्रा	योजना का नाम	विवरण
1.	1323	श्रीमती मंजू भारती पत्नी श्री अखिलेश भारती	जविप्रा	रोहिणी नगर-III	लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड लीजडीड हेतु।
2.	ए-770	श्रीमती पूर्णिमा मदान पत्नी स्व. श्री संदीप मदान, शान मदान, जतन मदान पुत्र/पुत्री स्व. श्री संदीप मदान, जरिये संरक्षक माता पूर्णिमा मदान	जविप्रा	रोहिणी नगर-द्वितीय	लीजहोल्ड से फ्री होल्ड पट्टा हेतु

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड का नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

  
उपायुक्त जोन-14,  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर

प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
- रक्षित पत्रावली।

  
उपायुक्त जोन-14,  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कर्मांक: LU2012/JDA/2023-24/102857

दिनांक: 21/09/2023

लोक सूचना

वीआरबी ड्रीम होम्स प्रा.लि. जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री भरत शर्मा पुत्र. श्री. कैलाश पंजीकृत कार्यालय 30, श्रीराम विहार विस्तार, मान्यावास, मानसरोवर, जयपुर


ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	सारंगपुरा, सांगानेर (जयपुर)	वीआरबी ड्रीम होम्स प्रा. लि. पंजीकृत कार्यालय 30, श्रीराम विहार विस्तार, मान्यावास, मानसरोवर, जयपुर	534	4200	0.42
			535	4100	0.41
			540	6000	0.60
			955 / 533	1950	0.1950
2.	भम्मौरिया, सांगानेर (जयपुर)	वीआरबी ड्रीम होम्स प्रा. लि. पंजीकृत कार्यालय 30, श्रीराम विहार विस्तार, मान्यावास, मानसरोवर, जयपुर	584	2200	0.22
कुल					1.8450

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 21-09-2023 को जारी की गयी।

  
प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर  
इन्दिरा साकिल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर  
प्रारूप 13

[नियम 13(2) देखिए]

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क(8) के अन्तर्गत

संख्या.....

दिनांक 21-9-2023

सूचना

अधोहरताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातोदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातोदारी/वारिसान/हिताधारी व्यक्तियों को एतद्वारा सूचित किया जाता है, कि आपकी राहमति/अराहमति से या आपके द्वारा करिबे विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण श्री गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति की आवासीय योजना गणेश नगर-9 एफ ब्लॉक के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।


उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चात्बर्ती हस्तांतरियों का कृत्य राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातोदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सम्पठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अधिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुनर्ग्रहित होगे।

अतः क्यों नहीं आपकी खातोदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातोदारी अधिकारों को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सम्पठित धारा 90ए(5) एवं सम्पठित राजस्थान अधिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावरित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुनर्ग्रहित कर लिया जाये।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर)	वर्तमान स्वामित्व हिस्सा अनुसार
ग्राम उपापुरा तहसील कालवाड	164	6.1082	1. डॉ. संगीता वीधरी पति नेनाराम हिरसा 14441/118623 जाति जाट निकड़वा वेराइली रटोर, नजदीक राज होटल, तहसील कुवामन, जिला नागौर, राजस्थान खातोदार
	176	5.7541	2. गंधरी देवी पति संतोष कुमार हिरसा 8525/118623 जाति अहीर(यादव) नि.33 ए, श्याम विहार, कालवाड रोड, झोटवाडा जयपुर खातोदार
			3. गंजू देवी पति जगदीश हिरसा 6749/118623 जाति अहीर(यादव) नि.33 ए, श्याम विहार, कालवाड रोड, झोटवाडा जयपुर खातोदार
			4. रुकमादेवी पति छीतर मल हिरसा 6394/118623 जाति अहीर(यादव) नि.33 ए, श्याम विहार, कालवाड रोड, झोटवाडा जयपुर खातोदार
			5. सरिता यादव पति वंदशेखर हिरसा 2368/39541 जाति अहीर(यादव) नि.33 ए, श्याम विहार, कालवाड रोड, झोटवाडा जयपुर खातोदार
			6. सुशीला यादव पति राकेश कुमार हिरसा 21181/593115 जाति अहीर(यादव) नि. 127, सरपंच की कोठी, बीड हाथोज, कालवाड रोड, जयपुर खातोदार

नगरीय विकास, आवासन एवं रवायत शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)-नविधि/ अभियान/2021/म म 3 जयपुर दिनांक 28/09/2021 के विन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातोदार/वारिसान/हिताधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्षर के विज्ञापित प्रकाशन के 7 दिवस में कमरा नं. 308, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जयप्रा स्थित न्यायालय में कार्यालय समय उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातोदारी अधिकारों को पर्यावरित कर भूमि का पुनर्ग्रहित किया जा सकेगा एवम् नियमानुसार मानचित्र अनुमोदन की कार्यवाही संपादित की जायेगी।

नोटिस आज दिनांक 21-9-2023 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

  
प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त  
जान-12 जयप्रा, जयपुर



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:-जविप्रा/उपा./जोन-09/2023/डी- 3950

दिनांक:- 21/9/23

## सार्वजनिक सूचना

निम्न आवेदको द्वारा सम्पत्ति के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	ई-27	132.00 वर्ग मीटर	महल विस्तार (जविप्रा)	श्री भूपिन्दर पाल सिंह पुत्र श्री जसपाल सिंह एवं श्री पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र श्री जसपाल सिंह	श्री महिपाल सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह	अपजीकृत इकरारनामा एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर।

*Seena*  
उपायुक्त जोन-9,  
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:-जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर सार्वजनिक सूचना क प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का करावे।

*Seena*  
उपायुक्त जोन-9,  
जविप्रा, जयपुर



## --सूचना--

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आयोजी का नाम	पुरवाह अथवा	मूल-ब सेक्टर	प्राप्ति का स्थिति / निजी आवेदारी योजना / जविप्रा योजना	योजना का नाम	शेरा, जिला के लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु समुदाय के सदस्य
1	जयपुर 300	जयपुर 300	64	16-1-16	जयपुर नगर म. नि.स.स.स.स.	क.पी.ए.ए.न.	जयपुर 3	जयपुर नगर म. नि.स.स.स.स.
2	जयपुर 300	जयपुर 300	18	19-2-00	जयपुर नगर म. नि.स.स.स.स.	क.पी.ए.ए.न.	जयपुर 3	जयपुर नगर म. नि.स.स.स.स.
3	सुदी नगरपालिका 300	सुदी नगरपालिका 300	65	16-6-06	जयपुर नगर म. नि.स.स.स.स.	क.पी.ए.ए.न.	जयपुर 3	जयपुर नगर म. नि.स.स.स.स.

उपायुक्त

जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)  
जविप्रा, जयपुर।

जनसम्पर्क अधिकारी,

जविप्रा, जयपुर।

यु.ओ. गेट क्रमांक / जविप्रा / उपा / जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय) / 2023 ई 1968  
दिनांक 21-9-2023

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष (+91-141-2569696) ई-मेल (सम्बन्धित कार्यालय) जयपुर-302020 (+91-141-2569696) (+91-141-2569696) (+91-141-2569696)  
ई-मेल (सम्बन्धित आवेदारी का ईमेल)



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- जविप्रा/उपा./जोन-12/2023/डी- 085

दिनांक 26-1-23

## :- आम सूचना :-

निम्न आवेदक द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	सोसायटी के अनुसार संख्या भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल (व.फी.)	गृ.नि.स.स/निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिनके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव पुत्र श्री मोहन लाल यादव	श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव पुत्र श्री मोहन लाल यादव	24	166.66	भैरव	आर्मी नगर	फ्री-होल्ड पट्टा	सूची में नाम अंकित नहीं है।
श्री सुरेश कुमार यादव पुत्र श्री रिछपाल यादव	श्री सुरेश कुमार यादव पुत्र श्री रिछपाल यादव	100	200.00	भैरव	आर्मी नगर	फ्री-होल्ड पट्टा	सूची में नाम अंकित नहीं है।

आवेदक द्वारा उक्त के आधार पर फ्री-होल्ड पट्टा करने में किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-12 कार्यालय में दर्ज करवायें, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का फ्री-होल्ड पट्टा जारी की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-12  
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:- जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त सूचना का दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराने का श्रम करें।

उपायुक्त जोन-12  
जविप्रा, जयपुर



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

## आम सूचना

प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021 के तहत जोन-12 में निम्न आवेदक द्वारा नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी / जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री अजय सिंह व अजीत सिंह	श्रीमती गंजू गुप्ता पत्नि श्री रमेश कुमार गुप्ता	178	152.7 व.ग.	सिरसली गृ. नि.स.स.	रामेश्वरग	लीजडीड	सदरथ सूची में नाम दर्ज करने हेतु

आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर लीजडीड/नाम हस्तान्तरण पत्र जारी करने में किररी भी व्यक्ति/हितधारी/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-12 कार्यालय में दर्ज करवाये, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दिया जावेगा।

उपायुक्त जोन-12  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

सू.ओ.नोट क्रमांक : जविप्रा/जोन-12/2023/डी- 8825

दिनांक 18-9-2023

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302 004

दुरभाष - +91-141-2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटे.: 8340 : फैक्स-+91-141-2574555



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

## आम सूचना

निम्न आवेदक द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	भूखण्ड संख्या	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी योजना / जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	अज्जो बानो	मांगीलाल बोथरा	20डी	जय गणेश	गणेश विहार	पट्टा हेतु	अपंजीकृत दस्तावेज
2	फजलूर रहमान खान	मांगीलाल बोथरा	20ई	जय गणेश	गणेश विहार	पट्टा हेतु	अपंजीकृत दस्तावेज
3	शकीला एवं मोहम्मद रिजवान	लक्ष्मणराम	36डी	जय गणेश	गणेश विहार	पट्टा हेतु	अपंजीकृत दस्तावेज
4	सईद अहमद	नथमल राखेचा	21डी	जय गणेश	गणेश विहार	पट्टा हेतु	अपंजीकृत दस्तावेज
5	मुबारक अली, मोहम्मद आबीद, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद जाहीद, सैमुन निशा	बजरंग लाल ओझा	37डी	जय गणेश	गणेश विहार	पट्टा हेतु	अपंजीकृत दस्तावेज
6	मेहरू निशा	श्रीनिवास थिरानी	33बी	जय गणेश	गणेश विहार	पट्टा हेतु	अपंजीकृत दस्तावेज
7	राधा गुप्ता	स्व. श्री भोलाराम पुत्र श्री रामकिशन	95/202	जविप्रा	राजीव आवास योजना ग्राम बगराना	कब्जा पत्र एवं पट्टा हेतु	मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसान शपथ पत्र, आईडी
8	अफसरी बेगम	लक्ष्मणराम	36बी	जय गणेश	गणेश विहार	पट्टा हेतु	अपंजीकृत दस्तावेज
9	शबाना बेगम	मिलाप चन्द बोथरा	22ई	जय गणेश	गणेश विहार	पट्टा हेतु	अपंजीकृत दस्तावेज
10	खातून बेगम	प्रकाश बागडा	10 एफ	जय गणेश	गणेश विहार	पट्टा हेतु	अपंजीकृत दस्तावेज
11	मेहफूज अहमद	हनुमान सहाय यादव	9डी	जय गणेश	गणेश विहार	पट्टा हेतु	अपंजीकृत दस्तावेज
12	फरमानुल्ला खान	विनोद कुमार चाण्डक	19ई	जय गणेश	गणेश विहार	पट्टा हेतु	अपंजीकृत दस्तावेज
13	नूर मोहम्मद	बिरदी चन्द गुर्जर	14डी	जय गणेश	गणेश विहार	पट्टा हेतु	अपंजीकृत दस्तावेज
14	मुस्समात जायदा बेगम जोजा	रूप कुमार चौपडा	18डी	जय गणेश	गणेश विहार	पट्टा हेतु	अपंजीकृत दस्तावेज
15	अवतार सिंह, अजय जैन	हरविन्दर सिंह	बी/12/2	जविप्रा	आटोमोबाईल नगर	पट्टा हेतु	मुख्याराम एवं विक्रय पत्र

जनसम्पर्क अधिकारी,  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा/उपा/जोन-10/2023/डी-1986  
दिनांक: 21/9/23

उपायुक्त(जोन-10)  
जयपुर विकास प्राधिकरण  
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:जविप्रा/उपा./जोन-12/2023/डी- ६६७६

दिनांक २१-३-२०२३

जनसम्पर्क अधिकारी  
जविप्रा, जयपुर।

विषय :-90ए की लोक सूचना का प्रकाशन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में 90ए की लोक सूचना सलग्न प्रारूप अनुसार 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय में उपलब्ध कराने का श्रम करें।

जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर

उपायुक्त जोन-12  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर  
इन्दिरा सिकिल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क(8) के अन्तर्गत

संख्या 0-8876

सूचना

दिनांक 21/9/2023

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण **लाखना गृह निर्माण सहकारी समिति/आनन्द विहार-जे ब्लॉक विकास समिति** की आवासीय योजना **आनन्द विहार-जे ब्लॉक** के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 संपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यो नही आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 संपठित धारा 90ए(5) एवं संपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर)	वर्तमान स्वामित्व
ग्राम नन्दगांव तहसील कालवाड	78	1.0244	1. देवीनारायण पुत्र परसराम हिस्सा- 1/4 जाति- रैगर सा. धानक्या खातेदार 2. प्रभूदयाल पुत्र परसराम हिस्सा- 1/4 जाति- रैगर सा. धानक्या खातेदार 3. रमेशचन्द पुत्र परसराम हिस्सा- 1/4 जाति- रैगर सा. धानक्या खातेदार 4. रामकरण पुत्र परसराम हिस्सा- 1/4 जाति- रैगर सा. धानक्या खातेदार,

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविधि/ अभियान/2021/म.ग.जा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष के विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में कमरा न. 308, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय में कार्यालय समय उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा एवम् नियमानुसार मानचित्र अनुमोदन की कार्यवाही संपादित की जायेगी।

नोटिस आज दिनांक 21/9/2023 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त  
जोन-12 जविप्रा, जयपुर



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

## यू ओ. नोट

विषय:- प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021 के तहत नियमन शिविर के सम्बन्ध में।

### आम सूचना

निम्न आवेदको द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी योजना/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री लियाकत अली पुत्र श्री रहमत खां	श्री वली मोहम्मद पुत्र श्री मुनीर खां	3	283.33	नवजीवन गृनिसस	दादीबाडी	लीजडीड जारी करने हेतु	अपंजीकृत दस्तावेजात् के सम्बन्ध मे ।
2	श्रीमती आशियां पत्नी श्री लियाकत अली	श्री वली मोहम्मद पुत्र श्री मुनीर खां	1	330.55	नवजीवन गृनिसस	दादीबाडी	लीजडीड जारी करने हेतु	अपंजीकृत दस्तावेजात् के सम्बन्ध मे ।
3.	श्री रामचन्द्र सैनी पुत्र श्री गंगाराम सैनी	श्री गंगाराम सैनी पुत्र श्री सेडूराम	11	476.86	मित्र गृनिसस	चौमू रोड	उपविभाजन पत्र जारी करने हेतु	अपंजीकृत दस्तावेजात् के सम्बन्ध मे ।
4. X	श्री रमेश चन्द शर्मा दिनेश कुमार पुत्रान् श्री हनुमान सहाय शर्मा	श्रीमती पताशी देवी पुत्र श्री हनुमान सहाय शर्मा	51	230.00	खुदाबाडी गृनिसस	भवानी नगर	लीजडीड जारी करने हेतु	पंजीकृत दस्तावेजात् के सम्बन्ध मे ।

उपायुक्त जौन-6  
जविप्रा जयपुर  
जयपुर

प्रतिलिपि- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र मे कराने का श्रम करावे।

यू.ओ.नोट क्रमांक जविप्रा/उपा.जौन-06/23/डी- 2819

दिनांक: 20.9.23

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-2570256.) : ईपीबीएक्स-0141-7118...एक्सटेंशन:(7118):

ई-मेल : (rajasthan.gov.in)